न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :- राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान लक्ष्मीनारायण बनाम बनारसी आदि

वाद संख्या 264 वर्ष 2025

निर्णय दिनांक :- 27/11/2025

लक्ष्मीनारायण पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चूरू

— वादी —

बनाम

1. बनारसी पत्नी कुरड़ाराम जाति जाट निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चूरू
2. पुरखाराम पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चूरू
3. महादेव पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चूरू
4. विद्या पुत्री कुरड़ाराम जाति जाट निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चूरू
5. तेजपाल पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चूरू
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती हस्ब दफा 88, 92ए अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सपिठत धारा 5 राज.उप.अधि.

उपस्थित:—

1. श्री अरूण सिहाग एडवोकेट वास्ते वादी।
2. श्री पवन योगी एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी सं. 1 ता 5।
3. तहसीलदार तारानगर राजपैरोकार वास्ते प्रतिवादी संख्या 6

—:निर्णय:—

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि विवादित कृषिभूमि खाता सं. 32 ख. नं. 37 तादादी 0.8852 हैक्टयर, ख. नं. 458/48 तादादी 1.4542 हैक्टयर, ख. नं. 86 तादादी 1.0116 हैक्टयर कुल तादादी 3.3510 हैक्टेयर वाके रोही मौजा कालवास तहसील तारानगर जिला चूरू वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज है उक्त कृषिभूमि पुश्तैनी दादालाई कृषिभूमि रही है।

वादी का हक व हिस्सा के लिए वंश वृक्षवाली निम्न प्रकार है:—

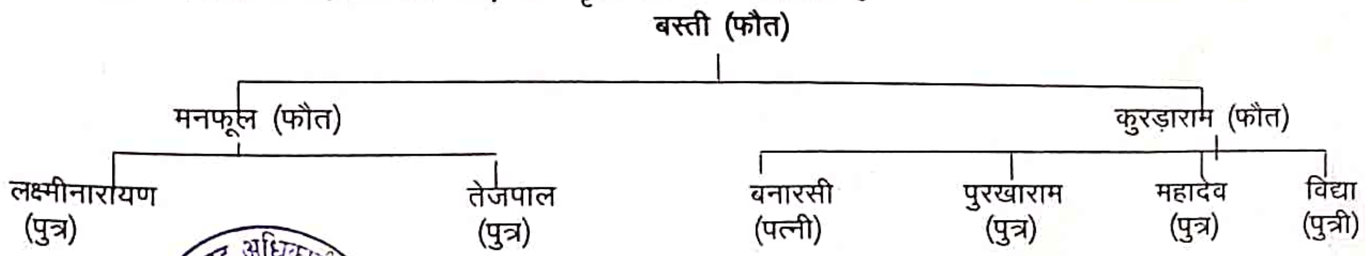

उपखण्ड अधिकारी

Rajendra

उक्त वादी के दादा तनसुख के देहान्त के बाद उक्त कृक्षिभूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 5 के पिता मनफूल तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के पति व पिता कुरड़ाराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज था। मनफूल के देहान्त के बाद उक्त कृषिभूमि का विरातन इंतकाल दर्ज करते समय भूलवश वादी व प्रतिवादी सं. 5. तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के पिता व पति कुरड़ाराम के नाम खातेदारी में 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ उक्त मनफूल के वारिसान वादी व प्रतिवादी सं. 5 के नाम 1/4, 1/4 तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के पति व पिता के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज होना चाहिए था मगर राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश इंतकाल दर्ज करते समय वादी व प्रतिवादी सं. 5 को प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के पिता व पति के भाई मानते हुए राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी सं. 5 के नाम 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के पति व पिता के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज किया जो कि गलत है जबकि वादी व प्रतिवादी सं. 5 कुरड़ाराम के भाई मनफूल की संतान है इस प्रकार वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है उक्त कृषिभूमियां पैतृक है। उक्त कृषिभूमि का विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय भूलवशं वादी व प्रतिवादी सं. 5 के नाम खातेदारी में 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज होने की बजाय 1/3, 1/3 हिस्सा खातेदारी में दर्ज कर दिया व कुरड़ाराम के नाम खातेदारी में 1/2 हिस्सा के स्थान पर 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज कर दिया है तथा कुरड़ाराम के देहान्त के बाद उनके जायज वारिसान के नाम 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 हिस्सा के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 दर्ज कर दिया गया है इसलिए वादी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/3 हिस्सा के स्थान पर 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्ती हेतु उक्त घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरस्ती का वाद पेश किया जा रहा है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 6 को मुताबिक हिस्सानुसार उक्त कृषिभूमि राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज करवाने एवं कब्जानुसार अपने अपने नाम करवाकर राजस्व रिकार्ड दुरूसत करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी हां भरते रहे और आखिर दिनांक 18.08.2025 को प्रतिवादी सं. 5 बमुकाम कालवास में ऐसा करने से साफ इंकार हो गये इसलिए उपरोक्त तारीख ही वाद कारण व वादधार प्राप्त है।

अन्त में वाद वादी खिलाफ प्रतिवादी सं. 1 ता 5 डिक्री फरमाया जावे कि ख.नं. 37 तादादी 0.8852 हैक्ट., ख.नं. 458/48 तादादी 1.4542 हैक्ट., ख.नं. 86 तादादी 1.0116 हैक्ट. कुल तादादी 3.3510 हैक्ट. वाके रोही मौजा कालवास तहसील तारानगर में वादी व प्रतिवादी सं. 5 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/3 हिस्सा के स्थान पर 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे।

वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 की ओर से एडवोकेट श्री पवन योगी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। वादी व प्रतिवादीगण स. 1 ता 5 की ओर से राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा दोनो पक्षो द्वारा सही होना स्वीकार करने पर तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली कराया गया। तहसीलदार तारानगर को जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक जांच रिपोर्ट के राजस्व रिकार्ड में वादी लक्ष्मीनारायण एवं प्रतिवादी सं. 5 तेजपाल पिता मनफूल बहिब हिस्सा 1/3 दर्ज है जबकि इनकी वंश वृक्षावली के अनुसार इनका हिस्सा क्रमशः 1/4 – 1/4 होना

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Sd/-

चाहिए। पूर्व जमाबंदी संवत 2023 में मनफूल व कुरडाराम का हिस्सा क्रमशः 1/2 व 1/2 दर्ज है। पूर्व जमाबंदी के अनुसार मनफूल व कुरड़ाराम भाई है व इनका हिस्सा खातेदारी में बहिब है सेग्रीगेशन के दोरान कुरड़ाराम वल्द तनसुख व लक्ष्मीनारायण, तेजपाल पिता मनफूल का हिस्सा बराबर–बराबर अंकित हो गया। उक्त खाता में कुरड़ाराम के वारिसों बनारसी, पुरखाराम, महादेव व विद्या का हिस्सा बहिब 1/2 व लक्ष्मीनारायण, तेजपाल पिता मनफूल का हिस्सा बहिब 1/2 दर्ज किये जाने की अभिशंषा की है। राजपैरोकार ने जाहिर किया कि प्रकरण में राज्यहित निहित नहीं है।

चूंकि दावा का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ है। अतः तनकी कायम कराने की आवश्यकता नहीं हुई। वकील पक्षकारान ने साक्ष्य नहीं कराये। बहस उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील पक्षकारान ने वाद के तथ्यों को दौहराया तथा राजीनामा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का निवेदन किया।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ने मुताबिक राजीनामा दावा अंतिम रूप से डिक्री करने का निवेदन किया। वाद में प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादी का वाद पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता है अतः वाद वादी बरूवे राजीनामा अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

–::आदेश::–

अतः वाद वादी बरूवे राजीनामा अंतिम डिक्री किया जाता है कि विवादित कृषिभूमि खाता सं. 32 ख. नं. 37 तादादी 0.8852 हैक्टयर, ख. नं. 458/48 तादादी 1.4542 हैक्टयर, ख. नं. 86 तादादी 1.0116 हैक्टयर कुल तादादी 3.3510 हैक्टेयर वाके रोही मौजा कालवास के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती बरूवे राजीनामा निम्न प्रकार की जाती है कि वादी लक्ष्मीनारायण पुत्र मनफूल एवं प्रतिवादी सं. 5 तेजपाल पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी कालवास तहसील तारानगर जिला चूरू के हिस्से में 1/4 – 1/4 एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 बनारसी पत्नी कुरड़ाराम, पुरखाराम, महादेव पुत्र कुरड़ाराम एवं विद्या पुत्री कुरड़ाराम जाति जाट निवासी कालवास तहसील तारानगर के हिस्से में 1/8 – 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट एवं राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। पर्चा डिक्री अलग से जारी किया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 27/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)